

क्रि० मिस० केश नं०- ३५८ / 2017

14/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलाकन किया। अवलाकनपारत स्पष्ट हाता हैं कि वर्त्तमान वाद की वैधनिक अवधि एक वषे बीत चुकी ह। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्त्तमान वाद समाप्त किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

9 July 2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
गाडगा।

9 July 2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
गाडगा।